

पंजीकृत

प्रेषक,

राज्य लोक सूचना अधिकारी-कम उप निदेशक (पी एण्ड आई)
कार्यालय निदेशक, ई.एस.आई स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा,
एस.सी.ओ 803, एन.ए.सी, मनीमाजरा, चण्डीगढ़।

सेवा में,

Sh. Ajay Kumar Bahal, EK Sangharsh,
Sector-9, House NO. 1669,
Faridabad-121006

यादि क्रमांक 6/1(371)-ई.एस.आई-आर.टी.आई.-3जी-2016/
दिनांक

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने बारे।

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र दिनांक शून्य (निदेशालय में प्राप्ति तिथि 08.08.16) के सन्दर्भ में ।
आप द्वारा मांगी गई सूचना निदेशालय में उपलब्ध शाखा के रिकार्ड अनुसार आपको प्रेषित की
जाती है।

विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना से सहमत ना होने की स्थिति में आप प्रथम अपीलिएट
अथोरिटी-कम-निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य संरक्षण, हरियाणा, एस.सी.ओ 803, एन.ए.सी, मनीमाजरा,
चण्डीगढ़ को अपील कर सकते हैं।

संलग्न:- 03 पेज ।

Sd.
राज्य जन सूचना अधिकारी-सह-उपनिदेशक (पी एण्ड आई),
कार्यालय निदेशालय, ई0एस0आई0 हैल्थ केयर, हरियाणा ।

पृ० क्रमांक: 6/1(371)- आर0टी0आई0-जी-3-2016/

दिनांक

इसकी एक प्रति केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी-सह-उप निदेशक प्रशा०, क्षेत्रीय कार्यालय,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सैक्टर-16,फरीदाबाद, को उनके पत्र क्रमांक 1831, दिनांक 01.08.2016 के संदर्भ में
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- 03 पेज ।

Sd.
राज्य जन सूचना अधिकारी-सह-उपनिदेशक (पी एण्ड आई),
कार्यालय निदेशालय, ई0एस0आई0 हैल्थ केयर, हरियाणा ।

पृ० क्रमांक: 6/1(371)- आर0टी0आई0-जी-3-2016/ 10400

दिनांक 19/9/16

इसकी एक प्रति प्रोग्रामर को कार्यालय की वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित की जाती है।

संलग्न:- 03 पेज ।

Crav
राज्य जन सूचना अधिकारी-सह-उपनिदेशक (पी एण्ड आई),
कार्यालय निदेशालय, ई0एस0आई0 हैल्थ केयर, हरियाणा ।

10482
14/9/16

SC
14/9/16
14816

विषय- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने बारे- श्री अजय कुमार बहल ।

क्या उप निदेशक (पी0एण्ड0आई0) अपने पत्र क्रमांक (371)-आर.टी.


आई-जी3-2016/8851-52, दिनांक 17.08.2016 की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे?

विषयलिखित मामले में श्री अजय कुमार बहल एक संघर्ष, सैक्टर-9, मकान नः

1669, फरीदाबाद -121006 के आवेदन में वर्णित बिन्दु नः 5 में मांगी गई सूचना निम्न प्रकार

है :-

मांगी गई सूचना	दी जाने वाली सूचना
Please intimate the scop of the state Government in Providing Health Care to the insured Persons including dependent family members Covred under ESI Act.	ई.एस.आई. हैल्थ केयर विभाग हरियाणा ई.एस.आई. डिस्पैसरीयों/ हस्पतालों के माध्यम से बीमाकृतों व उनके आश्रितों को प्राथमिक एवं द्वितीय प्रणाली की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाते है। इसके अतिरिक्त एस.एस.टी. केयर चिकित्सा सुविधा राज्य चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, हरियाणा (पंचदीप भवन, सैक्टर-16, फरीदाबाद) द्वारा टाई-अप किये गये हस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है तथा शाहबाद (कुरुक्षेत्र) व चरखी दादरी (भिवानी)के बीमाकृतों व उनके आश्रितों को आई.एम.पी. स्कीम के तहत चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। जिला फरीदाबाद के पूर्ण क्षेत्र को ई.एस.आई. स्कीम के तहत कवर कर दिया गया है अन्य जिलों के पूर्ण क्षेत्रों को ई.एस.आई. स्कीम के तहत कवर करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।


चिकित्सा निरीक्षक

सेवा में

राज्य जन सूचना अधिकारी -कम-
उप निदेशक (पी0एण्ड0आई0)।

अशा0 क्रमांक 1/445-ई.एस.आई-जी2-2016/16038

दिनांक 12/9/16

22/8/16

यं राजेश

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने बारे
- श्री अजय कुमार बहल।

22/8/16

क्या उप निदेशक (पी एण्ड आई), उपरोक्त विषय पर उनके अशा0 पत्र
क्रमांक 371-आर0टी0आई0-जी3-2016/8851-52 दिनांक 17.8.2016 की ओर ध्यान
देने की कृपा करेंगे ?

विषयलिखित मामलें मे आप द्वारा मांगी गई बिन्दु नं0 8 की सूचना साथ
संलग्न करके आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Rajesh

वरिष्ठ लेखा अधिकारी

सेवा में

उप निदेशक (पी एण्ड आई)।

अशा0 पत्र क्रमांक Misc.- RTI-ESI-A4-2016/1950

दिनांक 19.8.16

Detail of Expenditure of last five years

(ESI Health Care Haryana).

Sr. no.	Financial year	Total exp. as per audit certificate of issued by O/o PAG Hry/Verification by O/o PAG Haryana	ESIC, Share (Rs.)	State Share (Rs.)
1.	2011-12	77,35,86,424	67,68,88,121	9,66,98,303
2.	2012-13	86,97,53,522	76,10,34,332	10,87,19,190
3.	2013-14	91,67,18,973	80,21,29,101	11,45,89,872
4.	2014-15	1,01,50,64,623	88,81,81,545	12,68,83,078
5.	2015-16	1,13,42,40,812	99,24,60,711	14,17,80,101

* "Expenditure of ESI Health Care, Haryana is shared between State Govt. & ESIC, New Delhi in the ratio of 1:7"


Sr. Accounts Officer
for Director, ESI Health Care Haryana.